न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 09 / 2022

प्रार्थीगण
हंसाराम पुत्र धनाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–कालन्द्री, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही
2. लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी (श्रीमाली), निवासी–कालन्द्री, तह. व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
(1) अधिवक्ता श्री गोविन्द सेन, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से

दिनांक 17 मार्च, 2025

–: निर्णय :–

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी (श्रीमाली), निवासी–कालन्द्री के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 120 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, कालन्द्री से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार के अधिवक्ता द्वारा भी निगरानी आवेदन के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 (एक) उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सेन ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी हंसाराम, ग्राम कालन्दी में कालन्द्री–मोहब्बत नगर सडक के पास सरकारी अस्पताल के नजदीक अपनी हाथ लोरी में व्यवसाय करता है तथा उक्त जगह के आस–पास अन्य लोग भी व्यवसाय करते है, जिस हेतु प्रार्थी एवं अन्य व्यवसायकर्ता व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत कालन्द्री को समय–समय पर किराया अदा करते आ रहे है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.06.1984 के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध गलत तथ्य अंकित करते हुए एक दीवानी वाद किया था एवं इस वाद में पारित निर्णय को आधार बनाकर अप्रार्थी संख्या 2, प्रार्थी को उसके व्यवसाय से मेहरूम करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, सिरोही के न्यायालय में उक्त पट्टा खारिज करने हेतु निवेदन करने पर माननीय जिला न्यायालय ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत पुनरीक्षण या पुनविलोकन की शक्तियां राज्य सरकार या उसके द्वारा प्रायोजित अधिकारी को होने के कारण उक्त

...पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मुजरई बाद खारिज किया गया था। यह कि वर्ष 1984 में ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा कालन्द्री-मोहब्बत नगर रोड पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्द्री के पास कुछ लोगों को पट्टे जारी किये गये थे उक्त समय अप्रार्थी संख्या 2 को भी उक्त पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.06.1984 जारी किया जाना बताया जा रहा है। चूंकि उक्त समस्त पट्टे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्द्री की भूमि में गलत तरीके से जारी किये गये थे जिस कारण ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जिन लोगों के हक में पट्टे जारी किये गये थे उनके द्वारा पट्टे को आधार बनाकर गैर कानूनी तरीके से राजकीय चिकित्सालय, कालन्द्री की भूमि में अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश करने पर राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी एवं पक्षकारों के मध्य मुकदमें बाजी हुई थी। जिसके पश्चात् उक्त पट्टे गलत तरीके से राजकीय चिकित्सालय की भूमि में जारी किये जाने जाने के कारण उसकी उक्त समय जांच भी हुई थी। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी जिस पट्टे को आधार बनाकर प्रार्थी के विरूद्ध गलत कार्यवाही की गई थी उस प्रश्नगत पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, कालन्द्री में कोई भी रेकर्ड या मिसल उपलब्ध नहीं है। तथाकथित प्रश्नगत पट्टे में जो जगह बताई गयी है वह भूमि राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्द्री की भूमि में होने से उक्त तथाकथित पट्टे की भूमि जो राजकीय चिकित्सालय की भूमि होने से राज्य सरकार द्वारा उस भूमि पर परकोटा, चूना दिवार बना दी गई है। उक्त तथाकथित प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि मौके पर चतुर्दशी के अनुसार उपलब्ध ही नहीं है एवं मौके पर उक्त तथाकथित प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का न तो कब्जा है एवं न ही मौके पर कभी भी कब्जा रहा है। इस प्रकार, तथाकथित प्रश्नगत पट्टा अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त पट्टे के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड भी ग्राम पंचायत, कालन्द्री के कार्यालय में नहीं है जिससे पट्टा कूटरचित होना भी संभव हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त संबंध में मूल पट्टा (ओरिजनल पट्टा) कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 10.05.1988 को चिकित्सा प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्द्री, अध्यक्ष अकाल राहत में स्वास्थ्य केन्द्र की बाउण्ड्री वॉल निर्माण कमेटी, निवासी कालन्द्री, राज्य सरकार व ग्राम पंचायत कालन्द्री के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), सिरोही के न्यायालय में दीवानी वाद बाबत कब्जा भूमि एवं स्थायी आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था जो दीवानी वाद संख्या 51/88 दिनांक 27.04.1991 को खारिज किया गया था। इस प्रकार, तथाकथित पट्टे वाली भूमि पर ग्राम पंचायत, चिकित्सा प्रभारी या राज्य सरकार से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया एवं न ही उनके विरूद्ध कोई दावा प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 2 का पट्टा विवादित है, जिसको जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के तहत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि/जगह राजकीय चिकित्सालय की भूमि का हिस्सा होने से पट्टा गैर कानूनी है तथा इस प्रश्नगत पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यह कि उक्त प्रश्नगत पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गलत कानूनी कार्यवाही कर वादग्रस्त भूमि पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना चाहता है जिससे उक्त प्रश्नगत पट्टे को खारिज किया जाना आवश्यक है, ताकि इस प्रश्नगत पट्टे को आधार बनाकर अप्रार्थी संख्या 2 गैर कानूनी तरीके से भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं कर सके। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनरेश्वरजी जोशी (श्रीमाली), निवासी- कालन्द्री के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 की

पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि पर नाजायज कब्जा करने से प्रार्थी के विरुद्ध बेदखली का निर्णय माननीय न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, सिरोही द्वारा दिनांक 21.8.2019 को पारित होने एवं निर्णय की पालना हेतु ईजराय संख्या 10 / 2021 के विचाराधीन रहते हुए यह निगरानी प्रकरण Res subjuidice की श्रेणी में आता है तथा प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी का वाद संख्या 02 / 2018 (33 / 2014) निर्णित / डिक्री होने तथा उसका काउन्टर वाद वास्ते शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 को सक्षम जिला स्तरीय सिविल न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार होने से प्रार्थी का उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी हंसाराम द्वारा प्रस्तुत एस.बी. सिविल प्रथम रेग्युलर अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है, जिससे भी प्रार्थी का यह निगरानी कानूनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन 32 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जो सर्वथा मियाद बाहर है। जहां संबंधित अधिनियम / नियमों में मियाद अवधि निर्धारित नहीं है, वहां पर पुनरीक्षण की शक्तियां का युक्तियुक्त समय 90 दिवस निर्धारित है। प्रार्थी प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर घोषित अतिक्रमी है तथा उसकी बेदखली की कार्यवाही व निर्णय डिक्री की पालना हेतु ईजराय संख्या 10 / 2021 विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी आवेदन की विषय वस्तु सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2019 को निर्णित हो जाने से यह निगरानी आवेदन कानूनन चलने योग्य नहीं है एवं धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता "पूर्वी न्याय" (Res-juidicata) के न्यायिक सिद्धान्त के अनुसार खारिज योग्य हैं। यह कि प्रार्थी, ग्राम पंचायत का किरायेदार नहीं है एवं न ही प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 की भूमि का मालिक है, बल्कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के स्वामित्व एवं मालकी की है। प्रार्थी के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दायर दीवानी वाद संख्या 2 / 2018 (33 / 2014) का निर्णय दिनांक 21.08.2019 को हो चुका है तथा उसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर प्रथम अपील विचाराधीन है। उक्त दीवानी वाद संख्या 2 / 2018 (33 / 2018) लक्ष्मीकान्त जोशी बनाम हंसाराम मेघवाल वादी / अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 21.08.2019 को निर्णित व डिक्री हो चुका है तथा प्रार्थी के विरुद्ध ईजराय संख्या 10 / 2021 अप्रार्थी संख्या 2 के मालकी की भूमि से बेदखली हेतु विचाराधीन है। इस प्रकार, प्रार्थी निगरानीकार, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जारी पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 का घोषित व निर्णित अतिक्रमी है तथा प्रार्थी के विरुद्ध दोषपूर्ण कब्जे से बेदखली की डिक्री की पालना एवं अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्दगी हेतु ईजराय संख्या 10 / 2021 लम्बित है। यह कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 266 के तहत नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत, कालन्द्री में रेकर्ड उपलब्ध है, जिसके पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि व बैठक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। यह कि पूर्व दीवानी वाद संख्या 6 / 86 दिनांक 27.04.1991 को जरिये विड्रॉवल निरस्त किया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 पट्टाधारी का पट्टे की भूमि पर वर्ष 2000 तक निर्बाध रूप से कब्जा रहा है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 की भूमि जो अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व एवं मालकी की हैं के सम्बन्ध में प्रार्थी के विरुद्ध वाद संख्या 2 / 2018 (33 / 2014) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.8.2019 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जहां स्वयं प्रार्थी हंसाराम ने प्रथम अपील दायर की

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है वो स्वीकार होकर उक्त दीवानी वाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2019 निरस्त नहीं हो जाती, तब तक इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय) को उक्त निगरानी को सुनने का अधिकार नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 1999 Page 781, RRT 2002(1) Page 434 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.06.1984 को प्रार्थी या किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा कभी भी चुनौती नही दी गई है एवं उक्त पट्टा जारी होने के 32 वर्ष बाद प्रार्थी हंसाराम द्वारा उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण भी प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित नही किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधिक दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि इतने वर्षो की अवधि के बाद पट्टे को निरस्त नही किया जा सकता है तथा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग युक्तियुक्त समय में ही किया जाना चाहिये। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या (1) दिनांक 14.6.1983 के अनुसरण में अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी (श्रीमाली), निवासी- कालन्द्री के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 120 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 84 दिनांक 15.6.1984 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अनुसार, जहां आबादी भूमि में किन्हीं व्यक्तियों का प्रभूत्व का विश्वस्त दावा हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नही हो सके तो ऐसी आबादी भूमि/भूखण्ड का पुराने कब्जे भोगवटे के आधार पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान था।

प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी (श्रीमाली) के पक्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। प्रार्थी द्वारा ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनरेश्वरजी जोशी (श्रीमाली) के पक्ष में पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता बरती हो। जबकि अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी (श्रीमाली) की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया कि लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी (श्रीमाली) द्वारा प्रार्थी हंसाराम के विरुद्ध दोषपूर्ण कब्जे से निष्कासन (बेदखली) हेतु माननीय पारिवारिक न्यायालय, सिरोही में वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.8.2019 के अनुसार वादी लक्ष्मीकान्त की ओर से प्रस्तुत वाद वास्ते दोषपूर्ण कब्जे से निष्कासन (बेदखली) विरुद्ध प्रतिवादी हंसाराम स्वीकार करते हुये आदेश दिया गया कि वादी, प्रतिवादी से वादपत्र में वर्णित सम्पति चतुर्दर्शी एवं नापजोख के 10'x12'= 120 वर्गफीट का कब्जा प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.8.2019 के विरुद्ध प्रार्थी हंसाराम द्वारा अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मे एस.बी.

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय कलक्टर * सिरोही *

सिविल रेग्यूलर फर्स्ट अपील संख्या 3409/2021 प्रस्तुत की गई है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 19.3.2024 को खारिज की गई है। प्रकरण में अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेरश्वरजी जोशी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.8.2019 की पालना हेतु अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनेश्वरजी जोशी द्वारा माननीय न्यायालय में इजराय संख्या 14/2020 (02/20) प्रस्तुत की गई, जिसमें अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनरेश्वरजी जोशी को उक्त पट्टा संख्या 84 की भूमि का दिनांक 21.12.2022 को कब्जा भी प्राप्त हो चुका है।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी लक्ष्मीकान्त पुत्र धनरेश्वरजी जोशी के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1984 में जारी किया गया है एवं इस पट्टे को निरस्त कराने हेतु पट्टा जारी होने के 38 वर्ष बाद प्रार्थी निगरानीकार द्वारा यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थी ने कोई ठोस युक्तियुक्त कारण भी निगरानी आवेदन में अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही